हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की प्रथम वि"ोष बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 22 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1– श्री नरे"ा ठाकुर, संयुक्त–सचिव(f"ाक्षा)हि0प्र0 सरकार

2– श्री डी.डी. शर्मा, वि"ोष सचिव (f"ाक्षा)हि0प्र0 सरकार

3– डॉ0 अमर देव, f"ाक्षा निदे"ाक, हि0प्र0 सरकार

4– आचार्य कुलवन्त सिंह पठानिया, अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय

5– आचार्य एस.के. महाजन, अधिष्ठाता समाज–विज्ञान संकाय

6– डॉ0 कमल कान्त, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय करसोग

7– श्रीमती राज कुमारी, प्रतिनिधि गैर–f"ाक्षक कर्मचारी

9– डॉ0 वी.एस. नेगी, सह–आचार्य

10– आचार्य एस.एस. नारटा

–कुलसचिव
सदस्य–सचिव

<u>मद संख्या–1:</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की प्रथम विशेष बैठक में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य रहे आचार्य जे.बी. नड्डा द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कन्सोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन्स का निदेशक पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई दी तथा इसके साथ ही वर्तमान में कसुम्प्टी चुनाव क्षेत्र से विधान सभा सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह एवं पूर्व उपाध्यक्ष हि.प्र. हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम श्री चन्द्रशेखर, आचार्य डी.के. शर्मा, आचार्य एस.एस. चौहान, सह

आचार्य श्यामा जोशी तथा उच्चतर शिक्षा सलाहकार डॉ. बी.एल विन्टा का सदस्य के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् के नए सदस्यों के रूप में आचार्य कुलवन्त सिंह पठानिया, आचार्य संजीव कुमार महाजन, सह आचार्य विद्या सागर नेगी एवं नव नियुक्त उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉ. अमरदेव का स्वागत किया।

कुलपति महोदय ने परिषद् को यह भी अवगत करवाया कि गत अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:-

1. दिनांक 15 अक्तूबर, 2017 को पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास पर चर्चा हुई।
2. दिनांक 27 अक्तूबर, 2017 को जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला के सत्र में विशेष व्याख्यान दिया गया जिसमें इस क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
3. दिनांक 30 अक्तूबर, 2017 को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की वार्षिक बैठक में भाग लिया तथा विभिन्न सुझाव दिये।
4. दिनांक 3 नवम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की संचालन समिति की बैठक में भाग लिया।
5. दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
6. दिनांक 19 नवम्बर, 2017 को विश्वविद्यालय के दृश्य एवं कला विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभांरभ किया।
7. दिनांक 22 नवम्बर, 2017 को विश्वविद्यालय योजना बोर्ड में रूसा में हुए कार्यों की समीक्षा की गई।
8. दिनांक 23 नवम्बर, 2017 को उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य समानान्तर पाठ्यक्रम बोर्ड की बैठक में भाग लिया।

9. दिनांक 25 दिसम्बर, 2017 को अखिल भारतीय अंर्तविश्वविद्यालय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता की उतर क्षेत्र स्पर्धाओं का राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में उद्घाटन किया।
10. दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को इक्डोल द्वारा शोध प्रणाली के तरीकों के सम्बन्ध में आयोजित की गई कार्यशाला का शुभांरभ किया।

तत्पश्चात् उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

<u>मद संख्या–2:</u> कुलपति महोदय द्वारा वि"वविद्यालय अधिनियम की धारा–12-C(7) के अंतर्गत लिया गया निर्णय कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने कुलपति महोदय द्वारा वि"वविद्यालय अधिनियम की धारा–12-C(7) में निहित शक्तियों के अंतर्गत आचार्य जे.बी. नड्डा के पक्ष में अध्यादे"ा 35.44.A में निहित प्रावधान के तहत वि"वविद्यालय अनुदान आयोग ने निदे"ाक Consortium for Educational Communication, New Delhi के पद पर प्रदान की गई प्रतिनियुक्ति को नोट कर अनुमोदित किया।

कार्यकारिणी परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि वि"वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त पद हेतू प्रतिनियुक्ति की सेवा"ार्तों के निर्धारण के बाद कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

<u>मद संख्या–3:</u> डॉ0 रितू अग्रवाल, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग का 05–10–2016 से स्वेच्छा/बिना सूचना के अनुपस्थिति का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ० रितू अग्रवाल, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग के मामले पर विस्तार से चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया कि उक्त "िाक्षिका की

सेवाओं की समाप्ति पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व यद्यपि वि"वविद्यालय परिनियम की धारा 21 में निहित प्रावधानों के अनुसार अंतिम अवसर प्रदान कर दिया गया है तथापि 15 दिन का एक और नोटिस समाचार–पत्रों में भी प्रका"ात किया जाए। इसके साथ–साथ भारतीय डाक विभाग से पूर्व में जारी किए गए नोटिस के प्रेषण की प्राप्ति का पुष्टिकरण पत्र प्राप्त कर लिया जाए। तदानुसार मामले को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाए। नोटिस सकारण आदे"ा (Speaking Orders) के रूप में जारी किए जाएं ताकि इस संदर्भ में विधिक मामले को निपटाने में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण में सुविधा रहे।

<u>मद संख्या–4</u>: श्री रजनी"ा कुमार, कनिष्ठ सहायक द्वारा उनके असाधारण अवका"ा (बिना वेतन) को दिनांक 5–7–2017 से 24–10–2017 तक बढ़ाने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद ने श्री रजनी"ा कुमार, कनिष्ठ सहायक के पांच वर्ष से अधिक स्वीकृत असाधारण अवका"ा(बिना वेतन) की अवधि अर्थात दिनांक 5–7–2017 से 24–10–2017 तक अध्यादे"ा 36.4(d) में छूट प्रदान कर उनके सेवाकाल को नियमित करने का निर्णय लिया। हालांकि समिति ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में इन्हें इस मामले में किसी भी प्रकार की रियायत प्रदान नहीं की जाएगी।

<u>मद संख्या–5</u>: वि"वविद्यालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कानूनी सलाहकार श्री अ"वनी के. दुबे का रिटेनर"ाप फीस बढ़ाने बारे आवेदन तथा उन्हें प्रकति सुनवाई में लिपिकीय प्रभार प्रदान करने अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय मे श्री अ"वनी के. दुबे की नियुक्ति को निरस्त कर माननीय उच्चतम न्यायालय में माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से समय–समय पर किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर उन्हें प्रति मुकद्मा निर्धारित शुल्क प्रदान करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री अ"वनी कुमार दुबे के रिटेनर"ाप फीस को रूपये 5000/– से बढ़ाकर रूपये 15000/–प्रतिमाह करने के मामले पर गहन विचार–विम"ा के उपरांत यह निर्णय लिया कि उक्त विधिक सलाहाकार की

रिटेनर"ाप फीस में बढ़ौतरी बारे अनुरोध तर्कसंगत नहीं है, अतः इसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–6: शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24–10–2017 की सिफारि"ाों को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24–10–2017 की सिफारि"ाों को **संलग्न** के अनुरूप अनुमोदित किया। हालांकि कार्यकारिणी परिषद ने मद में परिभाषिक शब्द BTM को BTTM तथा MTM को Master of Travel & Tourism Management(MTTM) पढ़ा जाए। इसके अतिरिक्त परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि MTTM पाठयक्रम हेतू अध्यादे"ा 10.50 में प्रस्तावित सं"ाोधन में अंकविभाजन के क्रमांक–2 पर BA-I/B.Sc./B.Com के स्थान पर BA/B.Sc./B.Com-I उल्लेखित किया जाए।

.....

यथा–स्थान मदें:–

माननीय सदस्य प्राचार्य कमल कान्त ने राजकीय महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने का मामला उठाया क्योंकि NAAC Accreditation हेतू महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता की आव"यकता है। इस पर कार्यकारिणी परिषद् ने सर्व–सम्मति से यह निर्णय लिया कि मामले का पूर्ण परीक्षण कर मद आगामी बैठक में कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए।

श्रीमति राजकुमारी, माननीय सदस्या ने वि"वविद्यालय प्र"ाासन द्वारा पदोन्नति के आदे"ाों को वापिस लेने का मामला उठाया। जिस पर कुलसचिव महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि किन्हीं प्र"ाासनिक कारणों से उक्त आदे"ाों को निरस्त किया गया, जिन्हें अब बहाल कर दिया गया है। तथापि उन्होंने यह भी

आ"वस्त किया कि भविष्य में कभी इस प्रकार की पुनरावृति न हो प्र"ाासन द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

परिषद् के सम्माननीय सदस्य द्वारा उन्हें विभिन्न छात्र संगठन द्वारा सौंपे गए मांगपत्र कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए। जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने छात्र संगठनों द्वारा सौंपी गई मांगों पर मांग–वार परिषद को की गई कार्रवाई से अवगत करवाया। माननीय कुलपति महोदय ने परिषद् को यह भी अवगत करवाया कि इनमें से कई मामले प्रदे"ा सरकार से सम्बन्धित है जिन्हें प्रदे"ा सरकार को मामले में आगामी कार्रवाई हेतू प्रेषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मामले वि"वविद्यालय स्तर पर हल किए जाने हैं उन्हें सम्बन्धित विभागों को आव"यक कार्रवाई हेतू प्रेषित किया जाएगा।

माननीय कुलसचिव महोदय ने कार्यकारिणी परिषद को के०एल०बी० डी०ए०वी० महाविद्यालय में एम०सी०ए० पाठ्यक्रम में सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में हुई बिना प्रवे"ा परीक्षा के छात्रों के प्रवे"ा का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया कि इस प्रकरण की गहनता से अपने स्तर पर जांच करवाई जाएगी। हालांकि उक्त पाठ्यक्रम में प्रवे"ा प्राप्त छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए वि"वविद्यालय ने परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी है।

अंत में कुलसचिव महोदय ने प्रदे"ा सरकार से आचार्य मोहन लाल झारटा के असाधारण अवका"ा(बिना वेतन) प्रदान करने के मामले में हुई अनियमितता की रिपोर्ट प्रदे"ा सरकार को उनके पत्र संख्या:EDN-A-Ka-(5)-1/2013-Loose दिनांक 12 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में प्रस्तुत करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के

समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर कार्यकारिणी परिषद ने वि"वविद्यालय अध्यादे"ा 36.4(d) एवं 36.1(b) में निहित प्रावधानों पर चर्चा के उपरान्त यह पाया कि उक्त प्रावधानों के अनुरूप इस मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है तथापि कार्यकारिणी परिषद् ने समाज"ाास्त्र विभाग में "िाक्षकों की कमी और छात्र हित को मद्देनज़र

आचार्य मोहन लाल झारटा के असाधारण अवका"ा (बिना वेतन) को रद्द करने का निर्णय लिया जैसा कि पूर्व में ऐसे मामलों पर अन्य "िाक्षकों, अर्थात आचार्य जे.बी. नड्डा एवं आचार्य एस.के. धीमान के पक्ष में स्वीकृत असाधारण अवका"ा (बिना वेतन) को समाप्त करने और उन्हें वि"वविद्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यकरिणी परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(आचार्य एस.एस. नारटा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

(आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान)
कुलपति / सभापति

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की पांचवीं नियमिति बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 03 अक्तूबर, 2017 को अपराह्न 2:00 बजे आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1– आचार्य एस0एस0 चौहान, अधिष्ठाता समाज–विज्ञान संकाय

2– डॉ0 कमल कान्त, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय करसोग

3– श्री आर.आर. पटयाल, अतिरिक्त सचिव (िक्षा)हि0प्र0 सरकार

4– श्री रिखी राम, उप सचिव (वित्त) हि0प्र0 सरकार

5– डॉ0 (श्रीमती) "यामा जो"ी, सह–आचार्य

6– आचार्य एस.एस. नारटा –कुलसचिव सदस्य–सचिव

मद संख्या–1: कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की पांचवीं नियमित बैठक में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने परिषद को अवगत करवाया कि गत अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:–

10ਾ दिनांक 18 व 19 अगस्त, 2017 को अधिकारी व कर्मचारी वर्ग की भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई।

11ਾ दिनांक 25 अगस्त, 2017 को वि"वविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्र का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

12ਾ दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान व डॉ. वन्दना ि"वा, नवदन्या, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

13ਾ दिनांक 23 सितम्बर, 2017 को शारीरिक ि"क्षा विभाग के एक समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

14ਾ दिनांक 09 सितम्बर, 2017 को राजकीय महाविद्यालय, नेरवा में आयोजित अन्तर–महाविद्यालय खो–खो खेलकूद सपर्धा के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया ।

15ਾ दिनांक 21 अक्तबर, 2017 को राजकीय महाविद्यालय, संजौली में आयोजित अन्तर–महाविद्यालय कब्बड्डी खेल कूद सपर्धा के उद्धाटन् समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

तदोपरान्त कुलपति महोदय ने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को कार्यकारिणी परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 17–08–2017 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 17–08–2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया।

<u>मद संख्या–3:</u> कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 17–08–2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 17–08–2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या–4:</u> कुलपति महोदय द्वारा वि"वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाने बारे।

....

कुलपति महोदय ने वि"वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की है।

तथापि कुलपति महोदय ने परिषद को अवगत करवाया कि कनिष्ठ कार्यालय सहायक (IT) के पद पर वर्तमान में जो नियुक्तियां की गई हैं अभ्यार्थियों की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप प्रदान करते समय प्र"ाासन के ध्यान में यह आया कि 4–5 अभ्यार्थियों जो लिखित परीक्षा में शीर्ष स्थान पर थे तथा टंकण परीक्षा में भी उतीर्ण घोषित किए गए थे कम्पयूटर में तकनीकी खराबी के कारण इन अभ्यार्थियों के नाम मैरिट सूची में शामिल करने से छूट गए थे इस गलती को सुधारते हुए वि"वविद्यालय प्र"ाासन द्वारा उक्त अभ्यार्थियों को मैरिट सूची में शामिल कर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया और तदानुसार उपरोक्त पदों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर पात्र अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। माननीय कुलपति महोदय द्वारा उठाये गए उक्त मामले को कार्यकारिणी परिषद् ने नोट कर अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या–5:</u> कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है।

....

कार्यकारिणी परिषद के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समयावधि के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या–6: डॉ० रितू अग्रवाल, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग का 05.10.2016 से स्वेच्छा/बिना सूचना के अनुपस्थिति का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ० रितू अग्रवाल, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग के स्वेच्छा/बिना सूचना के अनुपस्थिति के मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि डॉ० रितू अग्रवाल को सी.सी.एस.नियमों(CCS Rules) के अनुसार आरोप पत्र(Charge Sheet) तय कर उन्हें उक्त पद से हटाने हेतु यथा"ीघ्र आगामी कार्रवाई सुनि"िचत की जाए।

<u>मद संख्या–7:</u> कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष माननीय हिमाचल प्रदे"ा प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No. 2410/2017 शीर्षक श्री अ"वनी कुमार बनाम हि.प्र. वि"वविद्यालय व अन्य प्रकरण में दिनांक 12.09.2017 को पारित आदे"ा की अनुपालना बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय हिमाचल प्रदे"ा प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No. 2410/2017 शीर्षक श्री अ"वनी कुमार बनाम हि.प्र. वि"वविद्यालय व अन्य में दिनांक 12.09.2017 को पारित आदे"ाों पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त प्रकरण में वि"वविद्यालय के विधिक सलाहाकार से विधिक राय लेने तथा ली गई विधिक राय के अनुरूप मामले में आगामी कार्रवाई करने हेतू कुलपति महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

<u>मद संख्या–8:</u> डॉ० देविन्द्र शर्मा, सह आचार्य वाणिज्य विभाग, हि० प्र० वि० वि० "िमला–5 द्वारा वाणिज्य विभाग में आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतू किये गये निवेदन को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतू।

....

कार्यकारिणी परिषद ने मामले पर विस्तार से चर्चा उपरान्त डॉ० देविन्द्र शर्मा, सह आचार्य वाणिज्य विभाग की उक्त विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्य ग्रहण की तिथि अर्थात 27.01.2016 से आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतू अपनी स्वीकृति प्रदान की।

<u>मद संख्या–9:</u> To place before the Executive Council the recommendations of the Committee constituted to formulate Guidelines and Procedure to deal with any instance of use of fake scheduled caste/ Scheduled tribes/ Other Backward classes Certificate to get admission in the H.P. University/ Colleges affiliated to/ maintained by the H.P. University duly approved by the Academic Council in its meeting held on 03-08-2017 vide item No. 6 for its consideration and decision.

....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया।

<u>मद संख्या–10:</u> शैक्षणिक परिषद की नियमित बैठक दिनांक 03–08–2017 में लिए गए निर्णयों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद ने शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 03–08–2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को **संलग्नक** के अनुरूप निम्न टिप्पणी के साथ

अनुमोदित कियाः–

"(मद संख्या–7): कार्यकारिणी परिषद ने मद पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कार्यरत शोध अधिकारियों के पदनाम को सहायक आचार्य के पदनाम में परिवर्तित करने का मामला शैक्षणिक परिषद् के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं, का परीक्षण कर मामला शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।"

<u>मद संख्या–11:</u> भर्ती एवं पदोन्नति समिति की अनुभाग अधिकारी, समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए दिनांक 19.08.2017 अपराह्न 2.30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही को कार्यकारिणी परिषद् की परिचालन द्वारा दिनांक 22.08.2017 को मद संख्या–1 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद ने भर्ती एवं पदोन्नति समिति की अनुभाग अधिकारी, समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों की दिनांक 19.08.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही जिसे कार्यकारिणी परिषद् ने परिचालन द्वारा दिनांक 22.08.2017 को हुई

बैठक में मद संख्या–1 के अन्तर्गत अनुमोदित किया था पर कुलपति महोदय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या–12: To place before the Executive Council the matter with regard to amendment in Chapter-XVI Himachal Pradesh University First Ordinance 1973 (as referred in the said Ordinances) under Sub-heading "Eligiblity Criteria for Ph.D. Supervisor of the Ordinances 16.4(a) and 16.4(b) in the matter of allocation of Research Supervisors to Research Scholars as approved by the Executive Council vide Resolution No. 19 of its meeting held on 23.03.2017 as per the UGC Regulations 2016.

....

कार्यकारिणी परिषद ने महाविद्यालय f"क्षकों को पीएच.डी. पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए वि"वविद्यालय अनुदान आयोग विनियामक 2016 में पीएच.डी. पर्यवेक्षक हेतू निर्धारित मानकों के अनुसार वि"वविद्यालय अध्यादे"ा 16.4(a) and 16.4(b) में निम्नलिखित प्रस्तावित सं"ाोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की:–

Existing Provision	**Proposed Amendments**
Doctor of Philosophy(Ph.D.) **16.4(a) Eligibility Criteria for Ph.D Supervisor:** To be eligible to be appointed as Supervisor a person should be a teacher in the H.P. University and must have himself obtained a research degree or must have already guided the research of Ph.D. candidate in a University established by law. In case an outside expert is associated for supervision of the candidate he/she shall have to work under the joint supervision of maximum two persons (one member from the concerned department and the outside expert will act as Co-Supervisor). In case of inter-disciplinary research the candidate has to work uder the joint supervision of maximum two persons (at least one from the concerned discipline in HPU). A Supervisor shall not have at any given point of time, more than eight(8) Ph.D. Scholars. The number of candidates to be supervised or jointly supervised shall not exceed the aforesaid	**16.4(a) Eligibility Criteria for Ph.D Supervisor:** Allocation of Research Supervisor: Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co-Supervisor, Number of M.Phil/Ph.D. scholar permissible per Supervisor etc. as per the UGC Regulations 2016. i) Any regular Professor of the Himachal Pradesh University/Institution/ Colleges affiliated to/maintained by H.P. University with at least five research publications in referred journals and any regular Association/Assistant Professor the H.P. niversity/Institution/Colleges affiliated to/maintained by H.P. University with a Ph.D. Degree and at least two research publications in referred journals may be recognized as Research Supervisor. Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of referred journals, the Institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing. ii) Only a full time regular teacher of the concerned University/institution Deemed to be a University/College can

number. (b)**Allocation of Supervisor**: The allocation of the supervisor for selected student shall be decided by the department in a formal manner depending on the number of students per faculty member. The available specialization among the faculty supervisors, and the research interest of student as indicated during the interview by the students. The allotment /allocation of supervisor shall not be left to the individual student or teacher.	act as a Supervisor. The external Supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the same institute or from other related Institutions with the approval of the Research Advisory Committee. iii) The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor available in the department. iv) In case of topic which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Research Supervisor from the department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co-Supervisor from outside the Department/Faculty/ College/Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institution/Colleges. v) A Research Supervisor/Co-Supervisor who is a Professor, at any given point of time, cannot guide more than three(3) M.Phil. and eight(8) Ph.D. scholars, an Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of two (2) M. Phil and six(6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of one(1) M.Phil and four(4) Ph.D. scholars. vi) In case of relocation of an M.Phil/Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent Institution/Supervisor from any funding agency. The Scholar will

	however give due credit to the parent guide and the Institution for the part of research already done.

<u>मद संख्या–13</u>: भर्ती एवं पदोन्नति की तकनीकी स्टाफ (निर्माण विंग) के लिए दिनांक 28.09.2017 अपराह्न 2:00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

......

कार्यकारिणी परिषद ने तकनीकी स्टाफ (निर्माण विंग) की भर्ती एवं पदोन्नति की दिनांक 28.09.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या–14</u>: O.A. No. 4483/2017 में दिनांक 31.08.2017 को पारित निर्दे"ा के अनुसार डॉ० संजीत शर्मा को सहायक आचार्य के पद पर वाणिज्य प्र"ाासन, यू.सी.बी.एस., "िामला–4 को नियुक्ति पत्र जारी करने के सन्दर्भ में।

....

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय हिमाचल प्रदे"ा प्र"ाासनिक न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No. 4483/2017 में दिनांक 31.08.2017 को पारित आदे"ाों पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त प्रकरण में वि"वविद्यालय के विधिक सलाहाकार से विधिक राय लेने तथा ली गई विधिक राय
के अनुरूप मामले में आगामी कार्रवाई करने हेतू कुलपति महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

<u>मद संख्या–15</u>: राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र संख्या: 4–66/83–जीएस–III दिनांक 26.09.2017 में डॉ० डेजी वर्मा सहायक आचार्य (अंग्रेजी) हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्म"ाला, कांगड़ा (हि०प्र०) को हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय, "िामला–5 में एक वर्ष के लिए आंतरिक प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के संन्दर्भ में।

....

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ० डेजी वर्मा सहायक आचार्य (अंग्रेजी) हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्म"ाला द्वारा माननीय कुलाधिपति को स्थानान्तरण बारे सौंपे गए आवेदन और उस पर माननीय कुलधिपति महोदय द्वारा पारित आदे"ाानुसार डॉ० डेजी वर्मा, सहायक आचार्य(अंग्रेजी) का वि"वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्म"ाला से हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय स्नातकोत्तर में एक वर्ष की अवधि के लिए आंतरिक प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि उक्त

क्षेत्रीय केन्द्र में सम्बन्धित विषय में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या यदि 10 से कम हो।

अंत में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

हस्ता0 /–
(आचार्य एस.एस. नारटा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 /–

(आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान)
कुलपति / सभापति